संख्या 1409/36-4-33(अ)/69

प्रेषक,

श्री बृजपाल नाथ चतुर्वेदी,
उप सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन ।

सेवा में,

श्रमायुक्त, उत्तर प्रदेश,
कानपुर ।

श्रम अनुभाग-4 लखनऊ: दिनांक 30 मई, 1974

विषय :- प्रदेश की औद्योगिक श्रमिक बस्तियों में अनधिकृत कब्जेदारी की समस्या निदान के बारे में लिये गये निर्णय ।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्र संख्या 3444/आई0एच0जी0(के0आर0)84 दिनांक 29 मार्च, 1974 के प्रसंग में तथा शासन के आदेश संख्या 1892/36-4-33(अ) दिनांक 16 जून, 1973 तथा अर्द्धशासकीय पत्र संख्या 5008/36-4, दिनांक 15.12.73 के क्रम में मुझे यह कहने का निर्देश हुआ है कि शासन ने इस समस्या के ऊपर पुनः विचार करके यह निर्णय लिया है कि निम्नलिखित श्रेणी के कर्मचारियों के नाम भी गृहों का नियमन शासनादेश संख्या 1892/36-4-33(अ)/69, दिनांक 16 जून, 1973 में उल्लिखित शर्तों के आधार पर कर दिया जाय ।

1. शिक्षक
2. राज्य सहायता प्राप्त स्कूल एवं कालेज के कर्मचारी ।
3. विश्वविद्यालय के कर्मचारी ।
4. यू0पी0प्रावीडेन्ट फण्ड संगठन के कर्मचारी ।
5. बैंक कर्मचारी ।

2. इस बारे में मेरे अर्द्धशासकीय पत्र संख्या 4347(1)/36-चार-33(अ)/69 दिनांक 4 दिसम्बर, 1973 में जारी किये गये आदेशों को कृपया निरस्त समझा जाय ।

3. शासनादेश दिनांक 16 जून, 1973 तथा इन शासनादेश के अन्तर्गत दी जाने वाली नियमन की सुविधा सिर्फ 30 जून, 1974 तक ही दी जावेगी । इसके बाद इन लोगों के विरुद्ध भी निष्कासन कार्यवाही उसी प्रकार की जाय जिस प्रकार अन्य अनधिकृत लोगों के विरुद्ध इस समय की जा रही है ।

4. इस सम्बन्ध में मुझे पुनः यह स्पष्ट करने का निर्देश हुआ है कि इन कर्मचारियों के नाम नियमन उसी दशा में किया जायेगा जब वे सम्बन्धित गृह के जिम्मे लगे सम्पूर्ण बकाया को एकमुश्त जमा करने को तैयार हों । किश्तों में बकाया जमा करने की सुविधा किसी भी दशा में प्रदान नहीं की जायेगी ।

5. कृपया इस पत्र की प्राप्ति अभिस्वीकार करें ।

भवदीय,
ह0(बृजपाल नाथ चतुर्वेदी)
उप सचिव ।

...2

संख्या 1409/36-4-33(अ)/69

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1. सचिव, भारत सरकार, निर्माण एवं आवास मंत्रालय, नई दिल्ली ।
2. सचिव, भारत सरकार, सुरक्षा मंत्रालय(सुरक्षा)उत्पादन विभाग(नई दिल्ल
3. सचिव, भारत सरकार, श्रम एवं पुनर्वासन मंत्रालय, नई दिल्ली ।
4. सचिव, स्वायत्त शासन शाखा, निवास अनुभाग-1, उत्तर प्रदेश सचिवालय, लखनऊ ।
5. महालेखाकार, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद ।

आज्ञा से,
(बृजपाल नाथ चतुर्वेदी)
उप सचिव ।

कार्यालय श्रमायुक्त, उत्तर प्रदेश, पोस्ट बाक्स संख्या 220, कानपुर ।

संख्या 7897-997/आई0एच0जी0(के0आर0)आठ-4 दिनांक जून 4, 1974

प्रतिलिपि -

1. क्षेत्रीय प्रति श्रमायुक्त, इलाहाबाद, मेरठ ।
2. क्षेत्रीय सहायक श्रमायुक्त, आगरा, लखनऊ, बरेली, गोरखपुर ।
3. अतिरिक्त प्रादेशिक संराधन अधिकारी, रामपुर , अलीगढ़, फिरोजाबा गाजियाबाद, सहारनपुर, वाराणसी, मिर्जापुर(पिपरी) को सूचनार्थ एवं तत्काल कार्यवाही हेतु प्रेषित । यह भी सूचनीय है कि इस सम्बन्ध में श्रमायुक्त महोदय ने निर्देश दिये हैं कि नियमन कार्य, जिसमें कि इधर शिथिलता आ गई है, पर विशेष ध्यान देकर अभियान के रूप में सभी पात्र अध्यासियों को नियमन निर्धारित तिथि 30.6.74 तक अवश्य पूर्ण कर लिया जाय एवं तदुपरान्त अवशेष अध्यासियों के विरुद्ध निष्कासन कार्यवाही की जाये । कृत कार्यवाही की प्रगति से इस कार्यालय को 5.7.74 तक अवश्य अवगत करा दें ।
4. प्रदेश के समस्त गृह निरीक्षक/सहायक गृह निरीक्षकों को तत्काल कार्यवाह हेतु ।
5. संयुक्त श्रमायुक्त(गृह) सहायक श्रमायुक्त(गृह), संराधन अधिकारी(गृह) सहायक लेखाधिकारी (गृह) श्रम निरीक्षक(गृह), तथा प्रधान लिपिक(गृह) को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित ।

ह0/- (विजय बिहारी मा
अतिरिक्त श्रमायुक्त, उ0
कृते श्रमायुक्त, उत्तर